

अद्यतन भूमि अभिलेख

प्रलिस के लयः

वन अधकार अधनलयम 2006, डजलल भूमलअभलख, सरकार की पहल

मेन्स के लयः

वन अधकार अधनलयम की वशलषताएँ, डजलल भूमलअभलख, भूगोलकल सूचना प्रणाली, संबधतल पहल

चरचा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को तीन महीने के भीतर **राजस्व और वन अभिलेखों में बंदोबस्त अधकार** दर्ज़ करने का नरदेश दया है ।

- पत्र में कहा गया है कलराजस्व और वन वभलगों को **वन अधकार अधनलयम (FRA), 2006** के तहत समुदायों को दी गई वन भूमकल अंतमल नकशा तैयार करना चाहयल ।

अधसूचना के मुख्य बदुः

परचयः

- अनुसूचतल जनजातल और अन्य पारंपरकल वन नवलसी (वन अधकारों की मान्यता) अधनलयम, 2006 या वन अधकार अधनलयम (FRA) के तहत अधकारों के रकॉर्ड पर डजलल जानकारल (RoR) को (एक कानूनी दसतावेज जो भूमल और उसके मालक के बारे में ववरण देता है) परवलश (PARIVESH) पोर्टल और केंद्रीय तथा राज्य सरकार के वभलगों के अन्य वेब **भूगोलकल सूचना प्रणाली (GIS)** प्लेटफारमों में एकीकृत कयल जाएगा ।
 - यह अधकारों के नपलटान और मालकलाना हक जारी करने की प्रकरयल पूरी होने के बाद कयल जाएगा । मानचतलर को संबधतल राज्य कानूनों के तहत भूमलअभलखों में शामिल कयल जाना चाहयल ।
- मंत्रालय ने राज्यों को प्रत्येक भूमल पैच का भूगोलकल सूचना प्रणाली (GIS) सर्वेक्षण करने और बहुभुजों की भू-संदरभतल डजलल वेक्टर सीमाओं को बनाए रखने का भी नरदेश दया है ।

लाभः

- FRA के डेटा के अनुसार भूमल रकॉर्ड आदवलसयल और अधकारयल के बीच संघरष को समाप्त करता है ।
 - कभी-कभी FRA के तहत आवंटतल भूमकल टुकड़ा वनीकरण के लयल उपयोग कयल जाता है जससे दोनों पक्षों के लयल बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं ।
- FRA के तहत RoR का भू-संदरभ राज्यों के लोगों के लयल फायदेमंद होगा क्योंकि वन और आदवलसी कल्याण वभलग FRA शीरषक धारकों की आजीवकल में सुधार के लयल वशलषलत परयोजनाओं और योजनाओं को शुरू करने में सकषम होंगे ।

वन अधकार अधनलयम, 2006:

- यह अधनलयम पीढ़यल से वन में नवलस करने वाली अनुसूचतल जनजातयल (FDST) और अन्य पारंपरकल वनवासयल (OTFD) को वन भूमल पर उनके वन अधकारों को मान्यता देता है ।
- कसी भी ऐसे सदस्य या समुदाय द्वारा वन अधकारों का दावा कयल जा सकता है, जो दसंबर 2005 के 13वें दनल से पहले कम-से-कम तीन पीढ़यल अथवा 75 वर्ष से वन भूमल में वास्तवकल आजीवकल की जरूरतों हेतु नवलस करता है ।
- यह FDST और OTFD की आजीवकल तथा खाद्य सुरक्षा सुनशलचतल करते हुए वनों के संरक्षण की वयवस्था को मज़बूती प्रदान करता है ।
- ग्राम सभा** को **व्यक्तगत वन अधकार (IFR)** या **सामुदायकल वन अधकार (CFR)** या दोनों को कल FDST और OTFD को दयल जा सकते हैं, की प्रकृतल एवं सीमा नरधारतल करने हेतु प्रकरयल शुरू करने का अधकार है ।
- इस अधनलयम के तहत चार प्रकार के अधकार हैं:**
 - स्वामतत्व अधकार:** यह FDST और OTFD को अधिकतम 4 हेक्टेयर भू-क्षेत्र पर आदवलसयल या वनवासयल द्वारा खेती की जाने

वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।

- **उपयोग करने का अधिकार:** वन नविसायियों के अधिकारों का वसितार **लघु वनोत्पाद**, चराई क्षेत्रों आदितिक है।
- **राहत और विकास से संबंधित अधिकार:** वन संरक्षण के लिये प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन वसिस्थापन और बुनयादी सुवधियों के मामले में पुनरवास का अधिकार शामिल है।
- **वन प्रबंधन अधिकार:** इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसमें वन नविसायियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।

डजिटल भूमि रिकॉर्ड हेतु भारत की पहलें:

■ स्वामित्व (SVAMITVA):

- स्वामित्व ड्रोने तकनीक और कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन (CORS) का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि मानचित्रण की एक योजना है।
- वर्ष 2020 से 2024 तक चार वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश भर में मानचित्रण किया जाएगा।

■ परविश (PARIVESH) पोर्टल:

- **परविश** एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जिसमें केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय वनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zones- CRZ) की मंजूरी प्राप्त करने के लिये प्रस्तावकों द्वारा दिये गए प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और नगिरानी हेतु वकिसति किया गया है।

■ भूमि संवाद:

- **भूमि संवाद** डजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Workshop on Digital India Land Record Modernisation Programme- DILRMP) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला है।
- यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System- ILIMS) वकिसति करने के लिये वभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में मौजूद समानताओं को स्थापित करने का प्रयास करता है, जिस पर वभिन्न राज्य राज्य-वशिषिट आवश्यकताओं को भी जोड़ सकते हैं जैसा कि वे प्रासंगिक और उपयुक्त समझ सकते हैं।

■ राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली:

- यह मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बकिरी-खरिद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण की ओर एक बड़ा बदलाव है।
- यह राष्ट्रीय एकता की दशा में एक बड़ा कदम है और 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' को भी बढ़ावा देगा।

■ वशिषिट भूखंड पहचान संख्या

- ULPIN को 'भूमि की आधार संख्या' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, वशिषिट रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यतः भूमि-अभिलेख काफी पुराने एवं वविदित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):

- वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) में वेब तथा अन्य परसिंचालनों का उपयोग कर **स्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग, सूचनाओं को संसाधित एवं प्रसारित किया जाता है।**
- यह उपयोगकर्ताओं के आँकड़ों के एकत्रीकरण, वशिषिट एवं परिणामों को अधिक-से-अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है तथा **नीति निर्माताओं के लिये उपयुक्त आँकड़ों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।**
 - GIS ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जिसमें स्थान शामिल है। स्थान को कई अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे- **अक्षांश और देशांतर, पता या ज़पि कोड।**
- GIS में लोगों से संबंधित आँकड़े जैसे- **जनसंख्या, आय या शिक्षा का स्तर आदि डेटा शामिल हो सकता है।**
 - इसमें कारखानों, खेतों, स्कूलों, तूफानों, सड़कों और वदियुत लाइनों आदि के संबंध में जानकारी भी शामिल हो सकती है।

UPSC सविलि सेवा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन नविसायी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- अनुसूचित जनजात और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के रूप में भी जाना जाता है, वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- अधिनियम में खेती और निवास जो आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में होते हैं और सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना एवं जंगलों में जल नकियाँ तक पहुँच, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) के लिये आवास अधिकार आदि अधिकार शामिल हैं।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और नपिटान अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़े एवं पारदर्शिता के अधिकार के संयोजन के साथ FRA आदिवासी आबादी को पुनर्वास तथा उनके लिये उचित बंदोबस्त के बनिा बेदखली से रक्षा करता है।
- **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** के तहत अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नयियों के अनुसार विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को लागू किया जाता है।

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजात) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से नरिणय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" को वन अधिकार अधिनियम, 2006 में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा नरिधारित एवं अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। **अतः कथन 1 सही है।**
- बैगा समुदाय (मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में) भारत में 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है, जिन अधिनियम, 2006 के तहत पर्यावास अधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्षों से वनों पर राज्य के बढ़ते नरिर्तिरण और वन भूमि स्वरूप में परिवर्तन, विकास एवं संरक्षण से इन वन समुदायों को गंभीर रूप से खतरा है। अतः वर्ष 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा जनजात के पर्यावास अधिकारों को मान्यता प्रदान की, यह जनजात भारत में पर्यावास का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला समुदाय बन गया है। **अतः कथन 2 सही है।**
- PVTGs के पर्यावास अधिकारों को राज्यों में जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय PVTGs के संदर्भ में आवास अधिकारों की परिभाषा के दायरे और सीमा को स्पष्ट करता है। **अतः कथन 3 सही नहीं है।**

अतः विकल्प A सही है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ